



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2015/ज्येष्ठ 8, 1937

No. 1123]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2015 /JYAISTHA 8, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ.1422(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2519 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2014 जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) के स्थान पर	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) पढ़ा जाए
कि.मी. 23.00 (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज कि.मी. 23.000) (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पाटनसावंगी गांव के पास)	कि.मी. 25.700 (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज कि.मी. 25.700) (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पाटनसावंगी गांव के पास)

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/760/सीओ/13-14/जीसी नागपुर-सावनेर-बेतूल बीओटी (वार्षिकी)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2015

S.O. 1422(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways bearing S.O. No. 2519(E), dated 25th September 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
km 23.00 (design chainage) (existing chainage km 23.000) (near Village Patansawangi in Nagpur District of Maharashtra)	km 25.700 (design chainage) (existing chainage km 25.700) (near Village Patansawangi in Nagpur District of Maharashtra)

[F. No. NHAI/13013/760/CO/13-14/GC Nagpur-Saoner-Betul BOT (Annuity)]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.